न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 31/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00289

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
1. भंवरलाल पुत्र सुराराम 2. जोगाराम पुत्र सुराराम 3. करनाराम पुत्र सुराराम, जातिगण पटेल, निवासीगण खेडा सतलाना, तहसील लुणी जिला जोधपुर (राज.)		1. श्रीमती ढलकी पुत्री मगनाराम पत्नी वागाराम जाति पटेल निवासी सतलाना खेडा तहसील लूणी जिला जोधपुर (राज.) 2. श्रीमती जमना पुत्री मगनाराम पत्नी हेमाराम जाति पटेल निवासी लूणी जिला जोधपुर (राज.) 3. तहसीलदार रोहट जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अधिवक्ता :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित उपस्थित
अधिवक्ता रेस्पाडेंट श्री मदनदास वैष्णव उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–01.02.2021

अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध आदेश दिनाँक 18.05.2018 जो तहसीलदार रोहट द्वारा ग्राम हीरावास तहसील रोहट जिला पाली नामान्तरकरण संख्या 209 पर पारित कर उसे स्वीकृत किया उसे निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रोहट के मूल नामान्तरकरण संख्या 209 को तलब किया गया तथा बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि पांची व शिवली ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53ए 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमी ग्राम हीरावास पटवार हल्का खाण्डी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 3 रकबा 49 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 13 रकबा 14 बीघा 10 बीस्वा किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 23 रकबा 109 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी दोयम बंटवारे,घोषणा, व निषेधाज्ञा से सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर रोहट के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जो दिनाँक 18.03.2011 को जरिये राजीनामा प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर निर्णित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाँक 15.04.2011 के डिक्री पारित कर दी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 का प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 30.05.2011 को हुआ जिसके विरूद्ध शिवली के वारिसान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 5422/2011 पेश की गई। जिसका निर्णय 16.08.2011 को निर्णय पारित हुआ जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2011 को अपास्त कर प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर दिया। अपीलांट संख्या 1 से 3 ने स्व. शिवली के वारिसान एवं पांचीदेवी से वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचाण दिनाँक 18.01.2012 एवं 25.11.2011 के क्रय की गई है। जिसके नामान्तरकरण संख्या 120 व 122 दर्ज किए गए। इन बेचाणनामें के आधार पर दर्ज नामान्तरकरणों के रेस्पोडेंट तहसीलदार रोहट ने दिनाँक 18.05.2018 को कैम्प खाण्डी ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि मूल प्रकरण संख्या 175/2010 एवं 46/2012 निरस्त हो गया व उपखण्ड अधिकारी ने पालना के निर्देश दिए है तथा नामान्तरकरण संख्या 120 व 122 को निरस्ती करण का नोट लगाते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 209 तथाकथित उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 23.02.2018 के आधार पर स्वीकृत कर दिया है। इससे अपीलांट व्यथित है जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। जो खारिज ... उत्तराधिकारियों के मध्य सम्पति के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया। तथा विभाजन ... को कभी उपशमन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ... उभयपक्ष के समान हित होते है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी नामान्तरकरण को खारिज करने या स्वीकृत करने बाबत आदेश नहीं दिया है। यह धारा 144 सीपीसी के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। तथा उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:04 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश..........2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जैर अपील नामान्तरकरण के स्वीकृती का आधार प्रकरण को निरस्त होना माना है जबकि प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित नहीं हुआ था न ही बंटवाड़ा प्रकरण को ही निरस्त होना माना है जबकि प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित नही हुआ था न ही बंटवाड़ा प्रकरण को ही निरस्त किया गया है। जो नामान्तरकरण जरिये पंजिबद्ध रजिस्ट्री के हुआ है उसे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के निरस्त नहीं किया जा सकता है इससे पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण पर पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 209 उपखण्ड अधिकारी रोहट के प्रकरण संख्या 175/10 को निरस्त व प्रकरण संख्या 46/2012 निर्णय दिनाँक 22.05.2017 एवं 23.02.2018 के निर्णय की पालना में स्वीकृत किया गया है जो निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी भी न्यायालय के आदेश को जब तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं करवाया दिया जाता है तब तक उक्त आदेशों की पालना में पारित नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है अगर अपीलांट उक्त निर्णय से व्यथित है तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त कर सकता है जैर अपील नामान्तरकरण को चुनौति देकर उसे निरस्त करवाना विध सम्मत नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे। जैर अपील नामान्तरकरण पर पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 को यथावत रखा जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली एवं जैर अपील नामान्तरकरण तथा अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार रोहट द्वारा दिनाँक 18.05.2018 को यह आदेश अंकित करते हुए स्वीकृत किया गया है कि 'उपखण्ड अधिकारी रोहट के प्रकरण संख्या 175/10 निर्णय दिनाँक 22.05.2017 को निरस्त करने तथा प्रकरण संख्या 46/2012 निर्णय दिनाँक 23.02.2018 की पालना में स्वीकृत किया जाता है।' इससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित निर्णयों की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। धारा 75 के तहत नामान्तरकरण पर तहसीलदार द्वारा दिए गए मूल आदेश की ही अपील की जा सकती है। जैर अपील नामान्तरकरण पर जो आदेश अंकित है वह प्रकरण संख्या 175/10 निर्णय दिनाँक 22.05.2017 को निरस्त करने तथा प्रकरण संख्या 46/2012 निर्णय दिनाँक 23.02.2018 की पालना में स्वीकृत किए जाने बाबत आदेश अंकित किया गया है जब तक उक्त प्रकरणों में जारी आदेशों को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक जैर अपील नामान्तरकरण पर पारित आदेश को निरस्त किया जाने का औचित्य नहीं है। न ही न्यायोचित है। क्योंकि तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही उपखंड अधिकारी के आदेशों के क्रम में की गई है, अतः उक्त आदेश को मूल आदेश नहीं माना जा सकता है, तथा धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इस बाबत वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण में इसी आशय के होने से इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 209 ग्राम हीरावास पटवार हल्का खाण्डी तहसील रोहट पर तहसीलदार रोहट द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:04 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली